बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2217 /अकादमी/सम्बद्धता/2014 भोपाल, दिनांक 12-9-14

प्रति,

प्राचार्य

आनन्द इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट

नीलबढ़, भोपाल

विषयः—बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2014—15 हेतु अस्थाई संबद्धता निरंतर करने विषयक ।

महोदय,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र क्रमांक 95667 दिनांक 01-06-09 के आधार पर विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.06.2014 मे की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20.08.2014 में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठयक्रम में छात्र संख्या 100 हेतु अस्थाई संबद्धता/निरंतरता सत्र 2014—15 के लिए निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है ।

शर्तेः—

1. आपको अस्थाई संबद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र 2015—16 के लिये निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित संबद्धता आवेदन पर आवेदन करना होगा ।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते है ।
3. आपको शासी निकाय की नियमित बैठकों के कार्यवृत्त जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित हो दिनांक 30.12.2014 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होगें ।
4. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड—28 एवं एन.सी.टी.ई. के नियमों के तहत करनी होगी ।
5. महाविद्यालय का आय—व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
6. महाविद्यालय का स्वंय का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधि अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा ।
7. उपरोक्त शर्ते पूर्ण न होने पर संबद्धता निरस्त की जा सकेगी

नोट : जिन महाविद्यालयों में कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है उन महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई संबद्धता सशर्त जारी की जावेगी ।

आदेशानुसार,

उप—कुलसचिव अकादमी

पृ0क्रमांक 2218 /अकादमी/संबद्धता/14 भोपाल, दिनांक 12-9-14

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3. क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भनस भवन श्यामला हिल्स भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

प्र.सहा—कुलसचिव,(अकादमी)